दूरभाष सं0 05852–223112
eehardoi@yahoo.com

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
बी–192, आवास विकास कालोनी, हरदोई।

पत्रांक : 3448 / वि-5 / 24 दिनांक : 19/6 /2026

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
हरदोई।

विषयः- **हिंदुस्तान न्यूज पेपर में प्रकाशित जल जीवन के कार्यों में लापरवाही पर सख्त हुये डीएम, जेई-एई पर कार्यवाही की चेतावनी के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रकाशित खबर	खण्ड की आख्या
जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अनुनय झा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि पाइपलाइन बिछाने के बाद खोदी गई सड़कों और मार्गों की तत्काल मरम्मत कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी क्षेत्र से बार-बार शिकायतें प्राप्त होती हैं तो संबंधित जेई और एई के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वामी विवेकानंद सभागार कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन डालने के बाद सड़कें क्षतिग्रस्त न छोड़ी जाएं। जहां भी पाइप लीकेज, जलापूर्ति बाधित होने या कनेक्शन देने में देरी की शिकायतें मिलें, उनका तत्काल और गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडबाल को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन	उक्त को सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि जनपद हरदोई में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 834 योजनायें प्रस्तावित है। जिसमें कुल 1865 राजस्व ग्राम सम्मिलित है। प्रस्तावित योजनाओं के सापेक्ष 210 योजनाओं में सतप्रतिशत पेयजल सम्बन्धि कार्य करा दिये गये है एवं 1583 राजस्व ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति कराई जा रही है। शेष राजस्व ग्रामों में पेयजल पाइप लाइन एवं पेयजल ग्रह संयोजन का कार्य कार्यदायी संस्था NCC Limited Hydrabad द्वारा किये जा रहे है। वर्तमान में जहाँ भी पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाता है तत्समय खोदी गई सड़क को मोटरबेल कर दिया जाता है। टेस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त मोटरबेल सड़क की स्थायी पुर्नस्थापना का कार्य तत्काल करा दिया जाता है। जो भी IGRS खण्डान्तर्गत प्राप्त होती है, उसका निस्तारण कार्यदायी संस्था के माध्यम से

के अंतर्गत चल रहे कार्यों का नियमित निरीक्षण करें। जिन गांवों में सर्वाधिक शिकायतें मिल रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने सभी जेई और एई को चेतावनी देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता वाली योजना है, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराई जाएं। बैठक में अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण, प्रभारी जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।	गुणवत्ता परक एवं समयबद्ध तरीके से जनसुनवाई पोर्टल पर निस्तारित कराया जाता है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(मनीष गंगवार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) महोदय, हरदोई।
2. अधीक्षण अभियन्ता, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, हरदोई।
4. जिला सूचना अधिकारी, हरदोई।
5. सम्बन्धित एई-जेई को इस निर्देश के साथ प्रेषित समस्त IGRS प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।
6. परियोजना प्रबंधक/ जे0जी0एम0 NCC Limited को इस निर्देश के साथ प्रेषित समस्त IGRS प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण ससमय एवं गुणवत्तापरक निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता